संख्या:18/2021/676/46-1-21-20(01)/2020

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 दिनांक 26 मार्च, 2021

विषय- उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेतन मद हेतु प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि को पुर्नआवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 228/लेखा-बजट(चीनी)/, दिनांक 26.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू.2812.66 लाख के सापेक्ष विभिन्न मदों हेतु शासनादेश संख्या: 18/2020/569/46-1-20-20(01)/2020, दिनांक 21 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू.2101.11 लाख एवं शासनादेश संख्या: 30/2020/1527/46-1-20-20(01)/2020, दिनांक 26-10-2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू.704.05 लाख अर्थात कुल स्वीकृत धनराशि रू.2805.16 लाख को संलग्न फॉट के कालम-5 के अनुसार पुर्नआवंटन करते हुए कालम-6 के अनुसार पुनरीक्षित करते हुए संलग्नक में उल्लिखित मानक मदों में आहरित करने एवं यथाआवश्यकता निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ आपके निवर्तन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., प्रयागराज एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

3. उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

4. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0303-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या: 5/ 2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/ बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

शिव सहाय अवस्थी

विशेष सचिव।

संख्या:18/2021/676(1)/46-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या:18/2021/676/46-1-2021,दिनांक 26 मार्च, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

क्र.स.	विवरण	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	बचत	पुर्नआवंटित धनराशि	**पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि**
1	2	3	4	5	6
31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)					
1	वेतन	168062000	15527019	-	153562000
2	महंगाई भत्ता	34315000	8792877	-	26015000
3	अन्य भत्ते	2734000	1634115	-	2734000
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4310000	4028233	-	1445000
5	यात्रा भत्ता	2250000	1393957	-	2250000
6	पेंशनरी अवकाश अंशदान	800000	402839	677752	1780000
7	पेंशन अंशदान	3000000	175175	85000	3085000
8	मानदेय	250000	130000	-	250000
9	अखिल भारतीय शोध समन्वित परियोजना (गन्ना)	1850000	144473	-	1850000
10	सेवानिवृत्तिक अवकाश नगदीकरण/ग्रेचुटी	34545000	1057544	-	49045000
11	पारिश्रमिक का भुगतान	5000000	9084	1252647	6800000
12	सप्तम वेतनमान एरियर	23400000	-	8021374	31700000
योग-		**28,05,16,000/-**	**3,32,95,316/-**	**1,00,36,773/-**	**28,05,16,000/-**

(रूपये अठ्ठाइस करोड़ पॉच लाख सोलह हजार मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है